बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सचिका सख्या : 15/खा०–10–09/2026 –3791(5)/स्वा0 पटना/दिनांक –29/09/2026

आदेश

आमजन के स्वास्थ्य हितो के मद्देनजर मानक स्तरीय खाद्य/पेय पदार्थों की उपलब्ध बनाये रखने हेतु राज्यान्तर्गत स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानो की जॉच, खाद्य नमूनो का सग्रहण, विश्लेषण एवं उसके जॉचफल के आधार पर दोषी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सरक्षा प्रशासन के कार्यो की समीक्षा हेतु विभाग स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक मे खाद्य सरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा आगामी पर्व त्योहारो को ध्यान में रखते हुए राज्यान्तर्गत स्थित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो के विनिर्माण एव विक्रय प्रतिष्ठानो तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठानो पर नियमित निरीक्षण एवं निगरानी बनाये रखने हेतु आगामी एक माह तक अभियान चलाकर खाद्य प्रतिष्ठानो का निरीक्षण कराये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली मे दायर वाद संख्या–880/90/0/2026 मे दिनाक–13.08.2026 को आयोग द्वारा पारित आदेश के अनुपालन मे Non Milk ingredients (यथा–Vegetables oils/fats, Starches, Plant Proteins, Stabilisers, Emulsifires and artificial flavours) से विनिर्मित Analogous Paneer के विनिर्माण, विक्रय, परिवहन एव भडारण पर निगरानी बनाये हेतु कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

2 उपरोक्त निदेशों के अनुपालन मे राज्यान्तर्गत बाजार मे उपलब्ध दुग्ध एव दुग्ध उत्पादो विशेषकर पनीर की गुणवत्ता पर निगरानी बनाये रखने हेतु आदेश निर्गत की तिथि से आगामी एक माह तक अभियान चलाकर डेयरी उत्पादो की जॉच कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आसन्न पर्व त्योहारो के मद्देनजर राज्यान्तर्गत स्थित मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठानों की सतत निगरानी आवश्यक है। वर्णित स्थिति मे राज्यान्तर्गत स्थित दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण प्रतिष्ठानो, खुदरा/थोक प्रतिष्ठानो, प्रमुख बाजारो जहॉ बडे पैमाने पर दुग्ध मडी का सचालन हो रहा हो तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठानो पर नियमित निरीक्षण एव निगरानी बनाये रखने हेतु मुख्यालय स्तर से निम्नवत् निरीक्षण दल का गठन किया जाता है :–

दल सख्या	निरीक्षक दल में शामिल पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण हेतु चिन्हित प्रमंडल
1	1 **श्री सुदामा चौधरी,** **अभिहित अधिकारी,** पटना, रोहतास, बक्सर, कैमूर, नालदा एव भोजपुर 2 डॉ0 सुदीन कुमार सुमन, खाद्य सरक्षा अधिकारी, पटना 3 डॉ0 प्रवेन्द्र कुमार, खाद्य सरक्षा अधिकारी, नालदा एवं नवादा 4 श्री रौशन कुमार सिंह, खाद्य सरक्षा अधिकारी, रोहतास एव कैमूर	पटना प्रमडल अन्तर्गत स्थित प्रमुख दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान।

	5 श्री जय प्रकाश गौतम, खाद्य सरक्षा अधिकारी, बक्सर एवं भोजपुर	
2	1 **श्री मुकेश जी कश्यप,** **अभिहित अधिकारी,** मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चपारण एवं वैशाली 2 डॉ0 विनोद कुमार सिह, खाद्य सरक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढी एव शिवहर 3. श्री हरे राम यादव, खाद्य सरक्षा अधिकारी, वैशाली एव पं० चपारण	तिरहुत प्रमंडल अन्तर्गत स्थित प्रमुख दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय प्रतिष्ठान तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान।
3	1. **श्री नारायण राम,** **अभिहित अधिकारी,** सारण, सिवान एवं गोपालगंज 2 डॉ0 अकुर कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सरक्षा अधिकारी, सिवान एवं गोपालगज 3 श्री धमेन्द्र कुमार, खाद्य सरक्षा अधिकारी, सारण एव पूर्वी चपारण	सारण प्रमडल अन्तर्गत स्थित प्रमुख दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय प्रतिष्ठान तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान।
4	1 **श्री जितेन्द्र प्रसाद,** **अभिहित अधिकारी,** दरभगा, मधुबनी एव समस्तीपुर 2 श्री रामा स्वामी वेकट रमण शर्मा, खाद्य सरक्षा अधिकारी, दरभगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर	दरभगा प्रमंडल अन्तर्गत स्थित प्रमुख दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय प्रतिष्ठान तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान।
5	1 **मो० इकवाल,** **अभिहित अधिकारी,** पूर्णियॉ, किशनगज, कटिहार एवं अररिया 2 श्री राजहंस कुमार राजहंस खाद्य सरक्षा अधिकारी, भागलपुर, बांका एव कटिहार 3 मो0 अली गौहर खाद्य सरक्षा अधिकारी, मुगेर, पूर्णियॉ एव मधेपुरा	पूर्णियॉ एव भागलपुर प्रमडल अन्तर्गत स्थित प्रमुख दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय प्रतिष्ठान तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान।
6	1 **श्री अशोक कुमार सिन्हा,** **अभिहित अधिकारी,** मुगेर, जमुई, लखीसराय, खगडिया, शेखपुरा, भागलपुर, बेगुसराय एव बाका 2 श्री ज्ञान प्रकाश, खाद्य संरक्षा अधिकारी, शेखपुरा एव जमुई 3 श्री राकेश कुमार, खाद्य संरक्षा अधिकारी, लखीसराय एवं खगडिया	मुंगेर प्रमडल अन्तर्गत स्थित प्रमुख दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय प्रतिष्ठान तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान।
7	1. **श्री अनिल कुमार,** अभिहित अधिकारी,	सहरसा प्रमडल अन्तर्गत स्थित प्रमुख दुग्ध एवं

	सहरसा, मधेपुरा एव सुपौल 2 श्री सजय चौधरी, खाद्य सरक्षा अधिकारी, बेगुसराय, सहरसा एव सुपौल	दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय प्रतिष्ठान तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान।
8.	1. **श्री अजय कुमार,** **सहायक अभिहित अधिकारी –सह– प्रभारी अभिहित अधिकारी,** नवादा, गया, अरवल, जहानाबाद एवं औरगाबाद 2 श्री संजीव कुमार, खाद्य संरक्षा अधिकारी, गया 3 श्री सुमन प्रकाश, खाद्य सरक्षा अधिकारी, अरवल 4 श्रीमती आभा रानी, खाद्य सरक्षा अधिकारी, जहानाबाद एव औरंगाबाद	मगध प्रमंडल अन्तर्गत स्थित प्रमुख दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय प्रतिष्ठान तथा मिष्ठान के विनिर्माण व विक्रय प्रतिष्ठान।

3 उक्त निरीक्षण दल संबंधित अभिहित अधिकारी के नेतृत्व मे उनके निदेशानुसार आगामी एक माह तक राज्यान्तर्गत स्थित मिष्ठान के विनिर्माण/विक्रय प्रतिष्ठानो, डेयरी उत्पाद के विनिर्माण प्रतिष्ठानों, दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद के थोक व खुदरा प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण केवल ऑनलाईन FoSCOS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों से संदिग्धता के आधार पर प्रतिष्ठान मे उपलब्ध खाद्य/पेय पदार्थों (विशेषकर दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद, खुले रूप में विक्रय जा रहे दूध एव पनीर) के वैधानिक नमूनो का सग्रहण कर, उसकी जॉच सयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 या अन्य NABL मान्यता प्राप्त FSSAI, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला से कराया जायेगा। संबधित खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी पदाधिकारी/खाद्य विश्लेषको का दायित्व होगा कि वे उक्त अभियान के अन्तर्गत सग्रहित किये जाने वाले खाद्य प्रकार के खाद्य नमूनों की जॉच मानक के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तथा जॉच प्रतिवेदन से सबधित अभिहित अधिकारी एव खाद्य सरक्षा आयुक्त कार्यालय को निर्धारित समयावधि मे अवगत कराते हुए सबधित सभी जॉच प्रतिवेदनो को InFoLNeT पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेगे।

4 निरीक्षण व छापेमारी के दौरान पायी जाने वाली त्रुटियों के आधार पर तथा खाद्य प्रयोगशाला/विश्लेषक के प्रतिवेदन के आधार पर संबधित दोषी खाद्य व्यापारी/प्रतिष्ठानो के विरूद्ध खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत बने विभिन्न नियमावलियो के संगत प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई संबंधित अभिहित अधिकारियो के स्तर से किया जायेगा।

5 निरीक्षण के दौरान खाद्य सरक्षा अधिकारियो/अभिहित अधिकारियो व निरीक्षण दल मे शामिल पदाधिकारियो की सुरक्षा हितो को ध्यान मे रखते हुए निरीक्षण स्थल पर शाति/विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरीक्षण दल को आवश्यकतानुसार सशस्त्र पुलिस एव दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अतएव राज्य के सभी जिला पदाधिकारियो/वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध है कि निरीक्षण दल मे

शामिल अभिहित अधिकारी के अनुरोध के आलोक मे उन्हे आवश्यकतानुसार सशस्त्र पुलिस बल तथा दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त के अतिरिक्त राज्यान्तर्गत वर्त्तमान में उपलब्ध 05 चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहनो के माध्यम से भी आदेश निर्गत की तिथि से आगामी एक माह तक केवल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद तथा मिष्ठान के सर्वे नमूना का सग्रहण कर, उसकी जॉच करायी जायेगी। इस सबध मे सबंधित सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी, सयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 एक कार्यक्रम तैयार कर खाद्य सरक्षा आयुक्त कार्यालय/विभाग को रासूचित करेगे कि वाहन का सचालन किस तिथि को किस स्थान पर किया जायेगा एवं वाहन पर कौन–कौन कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे? वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले तकनीकी कर्मी एव चालक का दायित्व होगा कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन का सचालन करना सुनिश्चित करेगे। जॉच के दौरान जिस भी खाद्य प्रतिष्ठान का नमूना मानक के अनुरूप नही पायेगा, तत्सबंधी सूचना सबंधित जिला के अभिहित अधिकारी को दी जायेगी। अभिहित अधिकारी का दायित्व होगा वे संबधित प्रतिष्ठान से वैधानिक नमूना का संग्रहण कराकर, उसकी जॉच कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अग्रेतर कार्रवाई जॉच फलाफल के आधार पर की जायेगी। चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के द्वारा सर्वे नमूनों के जॉच के साथ–साथ खाद्य व्यापारियो को प्रशिक्षित तथा आमजन को जागरूक करने का भी कार्य किया जायेगा। विशेषकर दुग्ध एव दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान व मिलावटी दुग्ध उत्पादो की पहचान कैसे करें, के संबध मे जन–जागरूकता फैलाने हेतु ऑन स्पॉट demonstration का कार्य किया जायेगा, ताकि आमजन गुणवत्तापूर्ण एव मानक स्तरीय खाद्य पदार्थो के क्रय एव उपभोग के सबध में जागरूक हो सके।

7 निरीक्षण दल को आवश्यकतानुसार वाहन की व्यवस्था सबधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा ईधन सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

8 उक्त निरीक्षण दल मे शामिल सभी अभिहित अधिकारियो को निदेशित है कि वे प्रतिदिन कृत कार्रवाई से सबधित प्रतिवेदन अपराह्न–04 00 बजे तक खाद्य सरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। खाद्य सरक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा नियमित रूप से प्रतिवेदन को संकलित करते हुए खाद्य सरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के सूचनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा। खाद्य सरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय द्वारा राज्यान्तर्गत चलाये जाने वाले विभिन्न अभियानों तथा दैनिक कार्रवाई प्रतिवेदन को प्रेस/मीडिया मे प्रसारित कराने हेतु विभाग में पदस्थापित/कार्यरत मो० अतहर, सहायक निदेशक (सूचना एवं जन–संपर्क) को नामित/प्राधिकृत किया जाता है।

9 उपरोक्त आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

10 उपरोक्त प्रस्ताव एव आदेश मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(धनंजय कुमार)
अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3791(5B) पटना/दिनांक – 29/09/ 2026

प्रतिलिपि माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि . श्री धनजय कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग –सह– राज्य नोडल पदाधिकारी, खाद्य सांरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि . सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि · प्रभारी पदाधिकारी/सभी खाद्य विश्लेषक, सयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना–07 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि . राभी अभिहित अधिकारी/राहायक अभिहित अधिकारी/खाद्य सरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि · मो० अतहर, सहायक निदेशक (सूचना एवं सपर्क) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि · आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/09/26

अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना।